भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4138

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

मुंबई में ई-गवर्नेंस सेवाएँ

4138. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान मुंबई में डिजिटल इंडिया पहलों और ई-गवर्नेंस सेवाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) मुंबई में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ऑनलाइन नागरिक सेवाओं, साइबर सुरक्षा, क्लाउड-आधारित शासन प्रणालियों तथा डिजिटल समावेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने मुंबई में नागरिकों और संस्थाओं के मध्य डिजिटल पहुंच, साइबर खतरों, डेटा सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता से संबंधित चुनौतियों का आकलन किया है; और
(घ) मुंबई में डिजिटल शासन में सुधार करने, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने, नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और सुरक्षित डिजिटल रूपांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इसके मूल में, यह कार्यक्रम तीन परस्पर जुड़े लक्ष्यों को बढ़ावा देता है: डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और डिजिटल साक्षरता और रोजगार के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।

सरकार नियमित रूप से आवधिक समीक्षा बैठकों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों, निगरानी डैशबोर्डों, तृतीय-पक्ष प्रभाव आकलन और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ बैठकों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं, विशेष रूप से उनके सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभागों के साथ बैठकों के माध्यम से डिजिटल इंडिया पहलों और ई-गवर्नेंस सेवाओं के कार्यान्वयन, पहुंच और प्रदर्शन की समीक्षा करती है।

सरकार ने पहचान (आधार), भुगतान (यूपीआई), डेटा एक्सचेंज (डिजिलॉकर और एपीआई सेतु) आदि के लिए जनसंख्या पैमाने पर मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई), डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस सेवाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है।इन्होंने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में बदलाव लाने वाली भूमिका निभाई है और वित्तीय समावेश, डिजिटल समावेश, गवर्नेंस और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है।

डिजिटल पहुंच और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को खुले मानकों, अंतर-संचालनीयता तंत्र, बहुभाषी इंटरफेस (भाषिनी), मोबाइल-फर्स्ट प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं के डिजाइन और वितरण में निरंतर सुधार के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने, ऑनलाइन नागरिक सेवा वितरण में सुधार, साइबर सुरक्षा बढ़ाने, क्लाउड-आधारित गवर्नेंस को बढ़ावा देने और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

डिजिटल कनेक्टिविटी: डिजिटल इंडिया ने भारतनेट जैसी पहलों के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस के तेजी से विस्तार में योगदान दिया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है। परिणामस्वरूप, देश भर में इंटरनेट की पहुंच और उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, और पिछले दशक में भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है।

- इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2026 में 109.27 करोड़ हो गई। इनमें से 12.7 करोड़ से अधिक इंटरनेट ग्राहक मुंबई सहित महाराष्ट्र राज्य में हैं।
- ग्राम पंचायतों और ग्रामीण संस्थानों के लिए भारतनेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार। जून 2026 तक, देश भर में भारतनेट परियोजना के तहत कुल 2.21 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत 739 ग्राम पंचायतों सहित 80,472 ग्राम पंचायतों पर भारतनेट प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) कार्यरत हैं।
- 30.06.2026 तक, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्तपोषित मोबाइल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश भर में कुल 24,784 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। इनमें से 2,821 मोबाइल टावर महाराष्ट्र राज्य में लगाए गए हैं।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं का वितरण: किफायती डेटा, सहायक डिजिटल एक्सेस प्वाइंट और इंटरऑपरेबल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने, डिजिटल भुगतान करने, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने और शासन में भाग लेने में सक्षम बना रहे हैं। डेटा लागत 2014 में 269 रुपये प्रति जीबी से घटकर 2025-26 में लगभग 8-10 रुपये प्रति जीबी हो गई है, जिससे भारत दुनिया के सबसे सस्ते डेटा बाजारों में से एक बन गया है।

- **आधार ने** सुरक्षित और तत्काल डिजिटल प्रमाणीकरण के लिए एक विश्वसनीय बायोमेट्रिक पहचान मंच बनाया है। 1.44+ बिलियन से अधिक आधार नंबर तैयार किए गए हैं। महाराष्ट्र में 13 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं।

- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** यूपीआई ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लाखों व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को तेज़, सुरक्षित और कम लागत वाले डिजिटल भुगतान करने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यूपीआई 55.49 करोड़ से अधिक व्यक्तियों, 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है और 731 बैंकों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन जाती है। भारत में होने वाले 85% डिजिटल भुगतान और वैश्विक स्तर पर होने वाले लगभग 50% रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान यूपीआई के माध्यम से होते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के यूपीआई संबंधी आंकड़े https://www.npci.org.in/product/ecosystem-statistics/upi पर उपलब्ध हैं।

- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) -** आधार से जुड़े डीबीटी के माध्यम से, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (56 मंत्रालयों की 318 योजनाओं) से नकद लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं। देश भर में डीबीटी के माध्यम से 52 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं।

- **डिजिलॉकर** नागरिकों को मूल जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक किसी भी समय पहुंच प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म में 71.66 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिसमें 2,822 ऑनबोर्ड जारीकर्ताओं द्वारा 936.03 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। डिजिलॉकर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए महाराष्ट्र राज्य में 4.46 करोड़ से अधिक आधार सक्षम पंजीकरण हुए हैं।

- **यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग)** नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म व्यक्तियों के लिए 2,575 सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य की 61 सेवाएं शामिल हैं।

- **मेघराज (जीआई क्लाउड):** यह ई-गवर्नेंस सेवाओं के कुशल, सुरक्षित और लागत प्रभावी वितरण के लिए भारत सरकार की क्लाउड कंप्यूटिंग पहल है। अट्ठाईस (28) क्लाउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) की क्लाउड सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में, 34,542 वर्चुअल मशीनें जीआई क्लाउड पर चल रही हैं, और 2,357 से अधिक सरकारी विभाग अपने अनुप्रयोगों को होस्ट करने के लिए जीआई क्लाउड का उपयोग कर रहे हैं।

- **ई-संजीवनी आपके** स्मार्टफोन से सीधे डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म ने देश भर में 48 करोड़ से अधिक रोगियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है।

- **ई-साइन** ने कानूनी रूप से वैध डिजिटल हस्ताक्षर और अनुमोदन की सुविधा प्रदान की, जिससे कागज रहित और संपर्क रहित वातावरण में सरकारी प्रक्रियाओं, प्रशासनिक कार्यों और व्यावसायिक लेनदेन के निर्बाध निष्पादन को सक्षम किया गया। महाराष्ट्र राज्य में जारी किए गए 18.33 करोड़ ई-साइन सहित सभी ई-साइन सेवा प्रदाताओं (ईएसपी) द्वारा कुल 150.57 करोड़ ई-साइन जारी किए गए।

- **सामान्य सेवा केंद्र –** सीएससी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक पहुँच को बढ़ाने के लिए डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मई 2026 तक, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.01 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 3.91 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में, 47,648 सीएससी वर्तमान में कार्यात्मक (ग्रामीण + शहरी) हैं, जिनमें मुंबई में 876 सीएससी शामिल हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की विभिन्न पहलों के तहत भारत सरकार के समन्वय से ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महानेट - भारतनेट, ब्लॉक/तहसील स्तर तक सरकारी कार्यालयों को जोड़ने वाले राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन), महाराष्ट्र राज्य डेटा सेंटर (एसडीसी) के संवर्धन और कम सेवा वाले और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के माध्यम से राज्य की डिजिटल अवसंरचना को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सहित पूरे राज्य में सरकारी सेवाओं तक निर्बाध ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए अन्य नागरिक-केंद्रित ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लागू किए हैं। इनमें कुशल, पारदर्शी और कागज रहित शासन के लिए आपले सरकार एकीकृत सेवा पोर्टल, महाडीबीटी 2.0, महाराष्ट्र ई-ऑफिस, महा एआई, आपले सरकार शिकायत निवारण पोर्टल, महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेश सुविधा (मैत्री), कानूनी मामला प्रबंधन प्रणाली आदि शामिल हैं।

डिजिटल साक्षरता और कौशल निर्माण: भारत का डिजिटल परिवर्तन महज पहुंच से कहीं अधिक व्यापक है; यह लोगों और संस्थानों को प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, समावेशी विकास को गति देने, डिजिटल शासन को मजबूत करने और देश भर के नागरिकों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इनमें शामिल हैं:

- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। महाराष्ट्र राज्य से कुल 53 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। यह योजना 31.03.2024 को संपन्न हुई थी।

- फ्यूचरस्किल्स प्राइम उभरती प्रौद्योगिकियों में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रदान करता है। कार्यक्रम के तहत, अब तक, 34+ लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 23+ लाख अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित/प्रशिक्षित किया गया है।

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) देश भर में 56 केन्द्रों और 9,000 से अधिक भागीदार संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से एसीसी और सीसीसी सहित डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के 1.2 लाख+ अभ्यर्थियों सहित देश भर में नाइलिट द्वारा 31.92 लाख+ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी (एनडीयू) प्लेटफॉर्म: यह प्लेटफॉर्म उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि में ऑनलाइन और मिश्रित कौशल-आधारित उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब तक 2.75 लाख+ अभ्यर्थियों ने नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के तहत पंजीकरण कराया है।

साइबर सुरक्षा उपाय: सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक नीतिगत उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी)।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 बी के प्रावधानों के तहत, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

(iii) सर्ट-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केन्द्र (एनसीसीसी) देश में साइबर स्पेस का स्कैन करने और साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए साइबरस्पेस से मेटाडेटा साझा करके विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

(iv) साइबर स्वच्छता केन्द्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केन्द्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने में मदद करता है और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क टूल प्रदान करता है, और नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।

(v) गृह मंत्रालय (एमएमए) ने समन्वित और प्रभावी तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) का सृजन किया है।

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70क के उपबंधों के अंतर्गत सरकार ने देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।

(vii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं, जिनमें डीपफेक भी शामिल हैं, पर जागरूकता सामग्री जैसे कि हैंडबुक, लघु वीडियो, पोस्टर, ब्रोशर, बच्चों के लिए कार्टून कहानियां, सलाह आदि www.staysafeonline.in, www.infosecawareness.in और www.csk.gov.in जैसे पोर्टलों के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं।

डेटा सुरक्षा: सरकार ने देश में डेटा संरक्षण के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

- डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("अधिनियम") डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को इस तरह से नियंत्रित करने वाला एक व्यापक तंत्र स्थापित करता है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है।

- अधिनियम के तहत, व्यक्तिगत डेटा को केवल वैध उद्देश्य के लिए और या तो डेटा प्रिंसिपल की सहमति के आधार पर या कुछ वैध उपयोगों के लिए संसाधित किया जा सकता है। सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, बिना शर्त और स्पष्ट होना आवश्यक है, और एकत्र किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा और इसके प्रसंस्करण के उद्देश्य का वर्णन करने वाले नोटिस के साथ या उससे पहले होना चाहिए।

- 13 नवंबर, 2025 को अधिसूचित अधिनियम और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 ("नियम") डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना सहित अठारह महीने की संक्रमण अवधि में इसके प्रावधानों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक समयरेखा प्रदान करते हैं।

अधिनियम के अधिनियमन और नियमों की अधिसूचना के माध्यम से, सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में डेटा के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और नागरिक-केंद्रित तंत्र स्थापित किया है।
